शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-42/2015/1451/52-1-2015/11(एम0एस0डी0पी0)/11

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 22 मई, 2015

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी के इलेक्ट्रिक वेल्डर एवं आर0ए0सी0 के लिये उपकरण एवं अन्य औजारों का क्रय हेतु **अवशेष द्वितीय किश्त** अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(9)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 30.03.2011 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-4151/52-1-2011-11(एम0एस0डी0पी0)/11, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **यू0पी0प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, लि0 लखनऊ** को प्रश्नगत इलेक्ट्रिक वेल्डर एवं आर0ए0सी0 के लिये उपकरण एवं अन्य औजारों का क्रय हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 5.10 लाख अवमुक्त किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(9)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 26.05.2014 से जनपद बाराबंकी के उक्त कार्य हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 10.20 लाख के सापेक्ष अवशेष **द्वितीय किश्त** के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 5,10,000/-(रू0 पांच लाख दस हजार मात्र) शासनादेश संख्या-जी०आई० 400/52-1-2014-11(एम०एस०डी०पी०)/11, दिनांक 13.10.14 द्वारा अवमुक्त किया गया था, जिसे शासनादेश सं०-1026/52-1-2015-11(एम०एस०डी०पी०)/11, दिनांक 31.03.2015 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

3- सम्प्रति प्रश्नगत कार्य हेतु भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में प्राप्त रू0 5,10,000/-(रू0 पांच लाख दस हजार मात्र) की धनराशि योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित बजट रू0 200.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0+रा0)	अवमुक्त **द्वितीय किश्त**		अवमुक्त कुल धनराशि (के0/रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाराबंकी	इलेक्ट्रिक वेल्डर एवं आर0ए0सी0 के लिये उपकरण एवं अन्य औजारों का क्रय		10.20	10.20	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10
		योग		**10.20**	**10.20**	**0.00**	**5.10**	**5.10**	**0.00**	**5.10**

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नामित कार्यदायी संस्था **यू0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, लि0लखनऊ** के प्रबन्ध निदेशक को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को 03 माह में अवश्य पूरा कर लिया जाय। कार्य को इतनी ही धनराशि से पूर्ण किया जाय, यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है, तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं कार्यदायी संस्था के प्रबन्ध निदेशक के मध्य इस आश्य का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

http://shasiadesh.up.nic.in

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- जिलाधिकारी द्वारा अवमुक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र, की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेंगी।

9- उपरोक्त कार्य के बारे में प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

10- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा।

11- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान का कार्यान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)** के नामें डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या (1)/बावन-1-2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

Unicode ITI G.O

http://shasanadesh.up.nic.in

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

6- निदेशक, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, **यू0पी0प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, लि0 लखनऊ।**

8- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, बाराबंकी।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

13- वित्त-ई-11 ।

14- वित्त (आय-नियंत्रण) अनुभाग-1 को 03 स्वच्छ प्रति।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in